International Journal of Social Science and Humanities
www.humanitiesjournals.com
Online ISSN: 2664-8628 Print ISSN: 2664-861X
Received: 14-02-2024, Accepted: 15-03-2024, Published: 30-03-2024
Volume 6, Issue 1, 2024, Page No. 50-52

पारिवारिक एवं समाजिक उपेक्षा की शिकार बालिकाएंः एक अध्ययन

डॉ. बलभद्र प्रसाद देवांगन
प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, अशोका महाविद्यालय, उम्मेदपुर, सारंगढ़, छत्तीसगढ़, भारत

सारांश
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार भारतीय नारी को पुरूष के बराबर अधिकार दिए गए हैं। स्त्री–पुरूष दोनों को अभिव्यक्ति, विचरण एवं जीवन–यापन की समान स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन विडम्बना यह है कि यह केवल सेमिनारों, संगोष्ठियों तक सीमित है, यदि नारी की असली तस्वीर देखना हो तो सामाजिक एवं पारिवारिक उपेक्षा की शिकार और घरेलू हिंसा से ग्रस्त महिलाओं के आंकड़े चौंकाने वाले हैं।

मुख्य शब्दः परिवारिक, सामाजिक, उपेक्षा, पराया धन, शिक्षा, साक्षरता, मानवीय मूल्य, दहेज।

किसी भी समाज का स्वरूप वहां की नारी की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि उसकी स्थिति सुदृढ़ एवं सम्मानजनक है तो समाज की सुदृढ़ एवं मजबूत होगा। यदि महिलाओं की स्थिति विश्व के संदर्भ में देखें तो इसका ताजा उदाहरण जापान हैं, जहां 40 वर्ष बाद शाही परिवार में लड़का पैदा होने पर खुशियां मनाई जा रही है, किन्तु वर्षों तक महिलाओं को राजगद्दी से दूर रखा गया है। यही स्थिति ब्रिटेन की भी है। भारतीय संदर्भों में भी जापानी राजाशाही की तरह पुरूष उत्तराधिकारी की चाह आम परिवारों में बनी रही है। इस चाह ने इतना जोर लगाया कि इसकी पूर्ति के लिए प्रकृति के नियमों को चुनौती दी जाने लगी। जन्म पूर्व ही संतान का लिंग पता लगाने के अनुचित प्रयास किये जाने लगे। यहां तक की जन्म की तारीख और समय तक तय कर प्रकृति को हांशिये में डाल देने की कोशिशें होने लगी। प्राचीन काल में समाज में नारी की स्थिति काफी अच्छी थी, सभी सामाजिक, धार्मिक क्रियाकलापों में उसकी सहभागिता थी। धीरे–धीरे उसकी स्थिति में ह्रास हुआ और आज स्थित यह है कि भारत व विश्व में महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में कम हो रही है। महिला आज भी कमजोर वर्गों में शामिल है।

आज हर स्तर पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है चाहे वह कला, साहित्य, सांस्कृतिक अधिकार कोई भी क्षेत्र हो। वर्तमान में विश्व का कोई भी देश यह दावा नहीं कर सकता है कि उसके यहां नारी किसी भी रूप में उत्पीड़ित नहीं है। वर्तमान में स्त्री तृतीय विश्व की भांति है, जहां अधिकार सीमित और कर्तव्य असीमित है, उससे अपेक्षाएं बहुत है।

समाज और परिवार में बालिकाओं को दोयम दर्जे का मानकर उनकी उपेक्षा की जाती है। अब शिक्षा की बात लें। पढ़ने के अच्छे अवसर लड़कों को ही प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, जबकि नारियों को इसलिए अच्छा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, क्योंकि वे तो पराया धन होती है। उन्हें शिक्षा के सीमित अवसर प्रदान किये जाते है। उनकी उपेक्षा इस कदर होती है कि जहां साहबजादे कान्वेंट में पढ़ने के लिये जाते हैं वहीं उनकी छोटी बहनें घर में बर्तन मांजने या घर का काम करने के लिये रोक ली जाती है। यदि लड़का किसी एक क्लास में चार बार भी फेल हो जाता है तो उसे पांचवी बार पढ़ने के अवसर दिये जाते है, जबकि लड़की एक बार फेल हो जाए तो उनकी पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें घर पर बिठा दिया जाता है। अधिकांश माता–पिता अपनी लड़कियों के हाथ पीले करके अपने कर्तव्य की इतिश्री करना चाहते हैं, बजाय उसका कैरियर बनायें। जब लड़कियां शिक्षित नहीं होगी तो उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा और वह अपने आपको दोयम दर्जे का मानने लगेगी। यही कारण है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहती और जब शादी के बाद उसकी कोख में कन्या भ्रूण होता है और पति या ससुराल वाले उसे गर्भपात कराने का दबाव बनाते है तो वह अपनी ही कोख को उजाड़ने से नहीं बचा पाती, क्योंकि तब उसे लगास है कि इस उपेक्षापूर्ण वातावरण में उसे जीने की बजाय उसके जन्म नहीं लेने में ही भलाई है। जब तक लड़कियां शिक्षित नहीं होगी उन्हें अपने वजूद का अहसास नहीं होगा और जब होगा तो उन्हें अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते देर नहीं लगेगी। तब उनकी कोख उजाड़ने का साहस किसी को नहीं होगा। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कन्याओं को ही सजग रहना होगा।

वर्तमान स्थिति

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रकाशित ''बच्चे भारत की शक्ति'' नामक पत्रिका में बताया गया है कि भारत में प्रति वर्ष 1 लाख 25 हजार महिलाएं गर्भधारण के कारण या बच्चों के जन्म से सम्बद्ध किसी कारण से मौत का शिकार हो जाती है। प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ 20 लाख लड़कियां जन्म लेती है, लेकिन इनमें से 30 प्रतिशत लड़कियां अपना 15वां जन्म दिन नहीं देख पाती है। 72 प्रतिशत गर्भवती ग्रामीण महिलाएं निरक्षर है। कक्षा एक में प्रवेश लेने वाली प्रत्येक 10 लड़कियों में केवल 6 लड़कियां ही पांचवी कक्षा तक पहुंचती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी हमारी कामकाजी जनसंख्या में से 70 प्रतिशत महिलाएं अकुशल कार्यों में लगी है तथा उसी हिसाब से मजदूरी पा रही है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के कुछ कार्य ऐसे हैं, जिनकी गिनती नहीं होती जैसे– खाना पकाना, घर की सफाई, बच्चों का पालन–पोषण आदि ऐसे अनगिनत कार्य है, जिनको कोई महत्व नहीं दिया जाता है। आंकड़े स्पष्ट करते है कि महिलाएं एक दिन में पुरूषों से 6 घंटे अधिक कार्य करती है। इतना सब कुछ करने व सहने के बाद भी उसे महत्वहीन समझा जाता है। वर्तमान दुनिया में काम के घंटों में 60 प्रतिशत से अधिक योगदान स्त्रियां ही करती है। 50 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करती है। अन्तर संसदीय परिषद् द्वारा 1996 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार करीब 100 देशों में 10 प्रतिशत राजनीतिक पार्टियों का नेतृत्व भी महिलाएं करती है। विकसित देशों की प्रजातांत्रिक संस्थाओं में भी महिलाओं का उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं है।

महिलाओं पर अत्याचार एवं हिंसा संबंधी आंकड़ो के अनुसार प्रति 23 मिनिट में अपहरण, प्रति 26 मिनिट में उत्पीड़न, प्रति 42

मिनिट में दहेज, हत्या, प्रति 54 मिनिट में बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जाहं पूरे देश में महिलाओं में होने वाले अपराधों का प्रतिशत 14.1 प्रतिशत है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में इसका दुगुना 27.6 प्रतिशत दर्ज किया गया है। इसी प्रकार देश के स्त्री पुरूष साक्षरता एवं लैंगिक अनुपात देखें तो भी एक भयानक तस्वीर उभरती है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला भ्रूण हत्या पर अंकुश के मामले में प्रगति के बावजूद अगले 25 वर्षों में देश में लिंगानुपात और अधिक प्रतिकूल होगा। यह अनुपात सन् 2001 में 933 महिलाएं प्रति हजार पुरूषों की अपेक्षा 2026 में 930 प्रति हजार पुरूष रह जावेगा। दिल्ली में यह सबसे कम 789% 1000 रहेगा जबकि हरियाणा में 839% 1000 तथा पंजाब में 840% 1000 की अपेक्षा की गई है। केरल में महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में अधिक बनी रहेगी। देश में स्त्रियों के प्रति बढ़ रहे हिंसा तथा अपराध के कारणों में जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय, पारिवारिक संरचना, विवाह पद्धति, नातेदारी, नगरीकरण, पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति, औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण, बढ़ता उपभोक्तावाद आदि प्रमुख है।

भारतीय नारी का नकारात्मक पक्ष

यह कटु सत्य है कि महिला सशक्तिकरण के अनेक प्रयासों, संवैधानिक, कानूनी, लिंग भेद निवारक व अन्य दर्जनों अधिनियमों, महिला नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों आदि के प्रचलन में रहने के बावजूद भी भारत में स्त्रियों की दशा शोचनीय है। लड़की आज भी अनचाही संतान है। यही पसंदगी या नापसंदगी लैंगिक भेदभाव का कराया है, जो परिवार के स्तर से आरंभ होती है एवं महिलाओं के प्रति हिंसा को प्रोत्साहित करते हैं। उन्हें पुरूषों के समान अधिकार एवं स्वतंत्रता का उपयोग करने से बाधित करती है।

शासकीय

प्रशासकीय तंत्र की असफलताओं के कारणों ने महिलाओं को स्वयं पहल करने हेतु प्रेरित किया जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में कई स्वयंसेवी महिला संगठन जैसे– सेवा (सेल्फ एम्पलाईज विमेन्स एसोसियेशन) बनिता समाज, संजीवनी सेवा संगम, अहिल्या आश्रम, दिशा, नेशनल मुस्लिम वूमन वेलफेयर सोसायटी, ओजस्विनी समदर्शी न्याय आदि स्थापित हुए।

सरकारी योजनाओं का उचित क्रियान्वयन न होने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होने से यह कहा जा सकता है कि अकुशल प्रबंधन के साथ–साथ समाज भी महिलाओं की बदतर स्थिति के लिये उत्तरदायी है।

इस प्रकार भारतीय नारी के लिये निम्न समस्याएं चुनौती बनी हुई है:

(1) पुरूषीय तानाशाही (2) अशिक्षा का चक्रव्यूह (3) जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया (4) महिलाओं के आरक्ष के बावजूद न्यूनतम राजनीतिक प्रतिनिधित्व (5) राजनीतिक दलों का उपेक्षा पूर्ण व्यवहार (6) शासकीय निष्क्रियता (7) बढ़ता नारी उत्पीड़न (8) महिलाओं का सर्वांगीण शोषण जैसे–परिवार, उत्तराधिकार, सम्पत्ति, वर का चयन, शासकीय सेवा, खेल, शिक्षा, विज्ञापन फिल्म आदि में असंख्य कानून होने के बावजूद जारी है।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसारा ''भारतीय नारी श्रम से नहीं घबराती किन्तु आंसुओं की चिन्ता करते हुए वह रोटी, असमान व्यवहार अपमान व शोषण से अवश्य डरती है।''

(9) गिरते मानवीय मूल्यः अधिकतम पुरूष रोजगार या पत्नी पाते ही मां, बहन के प्रति अपने स्थायी कर्तवयों को भूल जाते है। विड़म्बना यह है कि पत्नी, साली या साल ही समदन या ननद को दुश्मन समझकर उसी शाख को काटने लगती है, जिसमें उनका चेहता बैठा हुआ है। आज भी पुरूष वर्ग नारी का उत्पीड़न करने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार एवं भोग विलास की वस्तु मानता है–

नारी ने जन्म दिया नर को, नर से उसे बाजार दिया।
जब चाहा कुचला और मसला, जब चाहा दुत्कार दिया।।

(10) भ्रूण हत्या व दहेजः यह समाज में अमानवीयता की हद तक पहुंच गई है। वह स्त्री जिसका गर्भपात कराया जाता है, वह भी इसका विरोध नहीं कर पाती या करना नहीं चाहती, क्योंकि वह यह नहीं चाहती कि जो कष्ट उसने झेला है उसकी होने वाली संतान भी वही कष्ट झेले। इस मामले में उपचार ठीक से नहीं किया जा रहा है। जैसे अगर जड़ में रोग हो और इलाज पत्तियों का किया जाए। वस्तुतः भ्रूण हत्या का प्रमुख कारण पुत्र जन्म की अभिलाषा के अलावा पुत्री के वयस्क होने पर उसकी विवाह में दहेज को लेकर होने वाली समस्या भी सम्मिलित है।

स्त्रियों की स्थिति सुधारने हेतु सुझाव एवं उपाय :

1. समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाया जाये। स्त्री को सिर्फ औरत की निगाह से न देखा जाएं। साथ ही साथ स्त्री की स्वयं की मानसिकता में भी परिवर्तन की आवश्यकता है, वह स्वयं को अबला नहीं समझे, इसमें गैर सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
2. वे सामाजिक परम्पराएं जो स्त्री की स्थिति को निम्न बनाती है, उनका उन्मूलन किया जाए।
3. महिला शिक्षा की दिशा में और ठोस प्रयास किये जाए। इस हेतु परिवार, पड़ोस, सरकार व समाज को गंभीरता से कार्य करना होगा।
4. महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के प्रयासों में तीव्रता लाई जाए।
5. स्वरोजगार योजनाओं को अधिक महत्व दिया जाए।
6. उपभोक्तावाद के प्रलोभनों से महिलाओं को मुक्त किया जाए, एवं नारी गरिमा का सम्मान हो।
7. इस क्षेत्र में जुड़े कानूनों का वास्तविक क्रियान्वयन हो। पुलिस व प्रशासन को इसके लिये मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाएं।
8. महिलाओं के विरूद्ध अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जाए जिससे उनमें असुरक्षा की भावना कम हो एवं वे हर क्षेत्र में आगे बढ़े।
9. उत्पीड़ित महिलाओं को सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा पर्याप्त सहायता दी जाए। जिससे वे कर्तव्यों के साथ–साथ अधिकारों को भी समझे एवं उन्हें पाने के लिये सज रहें।
10. महिलाओं में जागृति लाई जावें एवं उनमें आत्म विश्वास जगाया जाए जिससे वे कर्तव्यों के साथ–साथ अधिकारों को भी समझे एवं उन्हें पाने के लिये सजग रहे।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार भारतीय नारी को पुरूष के बराबर अधिकारी दिये गये हैं, स्त्री पुरूष दोनों को अभिव्यक्ति, विचरण एवं जीवन यापन की समान स्वतंत्रताएं दी गई है। नारी परिवार एवं समाज की नींव है, इसकी उपेक्षा करके मानव पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। सदियों की उपेक्षा को एक दिन में नहीं बदला जा सकता, किन्तु अभी से नियोजित प्रयास किये जाये तो भविष्य उज्जवल हो सकता है।

अब भारत के प्रत्येक वर्गः परिवार, समाज और सरकार को नारी को समान अधिकार जैसे–समान वेतन, समान अवसर, सुरक्षा व सम्मान देने दिलाने हेतु कथनी व करनी को एक करना होगा। प्रसन्नता की बात है कि भारतीय ललनाएं अपने अस्तित्व के लिये

जागरूक दिखाई देने लगी है। कई लड़कियां अयोग्य वर के साथ विवाह करना अस्वीकार करती हुई देखी गई है। ऐसे ही कई उदाहरण देखें गये है जब दहेज के लोभी वर पक्ष ससुराली जन की बारात को वापस लौटा दिया है।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के समयः समय पर आयोजित संगोष्ठियों एवं सेमिनारों में महिला सशक्तिकरण संबंधी विचारों से इस बात को बल मिला है कि यह वर्तमान समाज की आवश्यकता है, लेकिन लम्बे चौड़े भाषण एवं वाद विवाद से महिलाओं का उत्थान होने वाला नहीं है, न ही बालिकाओं की घटती संख्या को बढ़ाया जा सकता है।
आवश्यकता है हमें जड़ों को सींचना होगा, खोई प्रतिष्ठा एवं सम्मान लौटाना होगा तथा नारी को भी स्वयं अपनी पहचान बनानी होगी।

कवि दुष्यन्त के शब्दों मेंः
एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है।
हम देश एवं समाज के विकास की बात करते है तो क्या आधी आबादी को उपेक्षित रखकर कोई विकास संभव है? समाज का असंतुलित विकास अविश्वास एवं विघटन को बढ़ावा देता है। यदि पतन से बचना है तो नारी को वे सभी अधिकार एवं सुविधाएं देनी होगी जिसकी वह हकदार है।
स्वामी विवेकानंद का कहना था– ''स्त्रियों की अवस्था, में सुधार लाए बिना विश्व कल्याण असंभव है, जैसे एक पंख से उड़ान भरना।''

संदर्भ सुची
1. प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर 2002, अप्रैल 2003, जुलाई व अगस्त 2006।
2. दैनिक नई दुनिया 4 सितम्बर 2006।
3. प्रतियोगिता निर्देशिका।
4. इंडिया टुडे।